



थाना एरच-जनपद झाँसी

प्रेस नोट

दिनांक 09.04.2025

थाना पुलिस द्वारा सम्बन्धित केस नं०- 3032/09 अ०सं०-674/09 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ अधीक्षक महोदय झाँसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गरौठा महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय एरच के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर अपराध व अराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वारण्टी अभियुक्त रामकुमार खंगार पुत्र अर्जुन नि० ग्राम लभेरा थाना एरच झाँसी उम्र करीब 38 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या - 3032/09 अ०सं०-674/09 धारा 25 आर्म्स एक्ट को गिरफ्तार कर मा०न्याया० के समक्ष पेश किया जा रहा है ।



संक्षिप्त विवरण –मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम महोदय गरौठा द्वारा निर्गत वारण्ट आदेश के क्रम मे वारण्टी अभियुक्त रामकुमार खंगार पुत्र अर्जुन नि० ग्राम लभेरा थाना एरच झाँसी उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय गरौठा के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त रामकुमार खंगार पुत्र अर्जुन नि० ग्राम लभेरा थाना एरच झाँसी उम्र करीब 38 वर्ष

सहयोग करने वाली टीम:-

थानाध्यक्ष नीलेश कुमारी

उ०नि० रामबहादुर सिंह

का० 737 महेन्द्र सिंह